किरायानामा

C Chamundeswari C/o Thamatam Gowari Sankar R/o 10-34-1, Challavaripalli, Vootupalli, Palamanda, Chittor, Andhra Pradesh (14-08-1990) Aadhar Card No. 4965 1833 3039 Mob. No. 9916560923 जिन्हें इस किरायेनामें में प्रथमपक्ष किरायेदार के नाम से सम्बोधित किया जायेगा।

प्रथम पक्ष किरायेदार

श्री दीपक रामनानी पुत्र श्री भगवान दास निवासी मकान नम्बर बी—304, मालवीय नगर, जयपुर राजस्थान मोबाईल नम्बर 9829552079 जिन्हें इस किरायेनामें में द्वितीय पक्ष मकान मालिक के नाम से सम्बोधित किया गया है।

द्वितीय पक्ष मकान मालिक

- गट कि प्रथमपक्ष किरायेदार ने (द्वितीय पक्ष) मकान मालिक से दिनांक 03.03.2024 से उनके प्लॉट नम्बर बी—304, मालवीय नगर जयपुर राजस्थान में स्थित एक कमरा, लेटबाथ को किराये पर लिया है। जिसमें डबल बैड मय गद्दे सहित, पंखे, ट्यूबलाईट आदि सामान लगा हुआ है।
- 2. यह कि प्रथमपक्ष (किरायेदार) ने 4000 / रूपये अक्षरे चार हजार रूपये मात्र में उपरोक्त किरायेशुदा सम्पत्ति को द्वितीय पक्ष (मकान मालिक) से प्रति माह किराये पर लेना तय किया हैं। जिसका प्रथम किराया प्रथमपक्ष (किरायेदार) ने द्वितीय पक्ष (मकान मालिक) को बतौर एडवान्स नकद अदा किया है तथा किराया प्रथमपक्ष (किरायेदार) द्वितीय पक्ष (मकान मालिक) को हर माह की 03 तारीख तक अग्रिम अदा कर दिया करेगा।
- 3. यह कि प्रथम पक्ष (किरायेदार) ने द्वितीय पक्ष (मकान मालिक) को बतौर अमानत (सिक्योरिटी) एक माह का किराया 4000/- रू. अदा किया है। जो कि मकान खाली करते समय बिना ब्याज के समस्त बकाया काट कर किरायेदार को लौटा दी जावेगी। यदि किरायेदार चार माह पूर्व खाली करते है तो दी गई सिक्योरिटी वापस नही होगी।
- 4. यह कि बिजली व पानी के मीटर द्वितीय पक्ष (मकान मालिक) के लगे हुए है जिसका भुगतान बिजली का सबमीटर के अनुसार प्रथमपक्ष किरायेदार द्वितीय पक्ष मकान मालिक को 10/- रू. प्रति यूनिट के हिसाब से अदा करेगे तथा पानी का बिल के अनुसार अदा करना होगा।
- 5. यह कि यह किरायानामा 11 (ग्यारह) माह के लिये है। 11 माह पश्चात प्रथम पक्ष (किरायेदार) को मकान की जरूरत पड़ती है और यदि द्वितीयपक्ष (मकान मालिक) सहमत होता है तो 10 प्रतिशत किराया बढ़ाकर किरायानामा अगले 11 माह के लिये और बढ़ाया जा सकता है।
- 6. यह कि प्रथम पक्ष (किरायेदार) मकान में किसी तरह की तोड़ फोड़ या निर्माण कार्य नहीं करेगा उक्त किरायेशुदा सम्पत्ति सही हालत में दी जा रही है जिसे सही व दुरूस्त हालत में किरायेदार द्वारा रखा जावेगा तथा किरायेदार उक्त मकान को किसी अन्य व्यक्ति / संस्था आदि को सबलेट या पार्ट विथ पजेशन या किराये पर नहीं देगा। यदि मकान खाली करते वक्त किसी भी तरह की तोड फोड पाई गई तो उसका हर्जा खर्चा प्रथमपक्ष (किरायेदार) देगा।
- 7. यह कि मकान किराये पर देते वक्त सब कुछ चुस्त दुरूस्त हालत में दिया जा रहा है आगे किरायेनामें की अवधी के दौरान किसी भी तरह की कोई भी टूट फूट या रिपेयर होती है व अन्य जो कुछ भी खर्चा होगा वह प्रथम पक्ष (किरायेदार) अदा करेगा द्वितीय पक्ष (मकान मालिक) की इसमें कोई जवाबदारी नहीं होगी।
- 8. यह कि किरायेश्वा सम्पत्ति में लडको का आना मना है।
- 9. यह कि प्रथम पक्ष (किरायेदार) जब भी चाहे द्वितीय पक्ष (मकान मालिक) को एक माह का लिखित अथवा मौखिक नोटिस देकर मकान खाली कर सकता है, इसी तरह द्वितीय पक्ष (मकान मालिक) जब भी चाहे प्रथमपक्ष (किरायेदार) को एक माह का लिखित अथवा मौखिक नोटिस देकर मकान खाली करवा सकता है।

- 10. यह कि प्रथम पक्ष (किरायेदार) के आचार विचार व्यवहार से किसी पडौसी या किसी अन्य को तकलीफ होती है तो द्वितीय पक्ष (मकान मालिक) एक माह का नोटिस देकर प्रथमपक्ष (किरायेदार) से मकान खाली करा सकता है।
- 11. यह कि प्रथम पक्ष (किरायेदार) पर एक माह का बिजली, व एक माह का किराया चढ़ जाये तो द्वितीय पक्ष (मकान मालिक) को यह अधिकार रहेगा कि वह प्रथम पक्ष (किरायेदार) को एक बार सूचित कर किरायेशुदा सम्पत्ति खाली करवा सकता है व बकाया रकम वसूल कर सकता है।
- 12. यह कि प्रथम पक्ष किरायेदार उक्त मकान का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजनार्थ करेगा इसमें किसी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधि नही करेगा एवं न ही कोई अनैतिक कार्य हेतु प्रयोग करेगा।
- 13. यह कि किरायेदार जब भी मकान खाली करेगा सही एवं दुरूस्त हालत में मकान मालिक को संभलवायेगा किसी भी तरह की टूट फूट के लिये किरायेदार जिम्मेवार रहेगा।
- 14. यह कि किसी भी विवाद के लिये जयपुर में स्थित न्यायालय का ही क्षेत्राधिकार होगा।
- 15. यह कि किरायेदार उपरोक्त मकान के उपर किसी प्रकार का लोन या किसी भी प्रकार का वित्तिय ऋण प्राप्त नहीं कर सकता है।
- 16. यह कि उपरोक्त किरायेनामें की शर्तों से दोनों पक्ष व उनके उत्तराधिकारी, स्थानापन्न, अधिकारी सभी पाबंद रहेगे।

अतः यह किरायानामा राजी खुशी होश हवास की दुरूस्ती में, बिना नशे—पते व बिना किसी जोर—जबरदस्ती के ऊपर लिखी हुई शर्तों को मंजूर करते हुए एक 500 / — रू. के स्टाम्प पेपर तथा दो पाई पेपरों पर किरायेदार ने पढकर, सुनकर समझकर दो गवाहों के समक्ष हस्ताक्षर कर दिये है ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत काम आवे।

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष (किरायेदार)

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष (मकान मालिक)

हस्ताक्षर गवाह 1.

हस्ताक्षर गवाह 2.